

**A.F.R.**

**Neutral Citation No. - 2024:AHC:147895**

**Reserved on - 04.09.2024**

**Delivered on - 11.09.2024**

**Court No. - 74**

**Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 4769 of 2024**

**Applicant :- Priyanka Gupta And Another**

**Opposite Party :- State of U.P. and Another**

**Counsel for Applicant :- Abhishek Kumar Saroj,Arvind**

**Kumar,Siddharth,Syed Shahnawaz Shah**

**Counsel for Opposite Party :- G.A.,Vijit Saxena**

**Hon'ble Saurabh Shyam Shamsbery,J.**

1. Heard Mr. Siddharth, learned counsel for the applicants, Mr. Vijit Saxena, learned counsel for opposite party No.2 and Mr. Rakesh Kumar Mishra, learned AGA for the State.

2. Instant application under Section 482 Cr.P.C. has been preferred by applicants with a prayer to quash the Summoning order dated 01.07.2023 passed in complaint case No. 215 of 2020 (Smt. Shweta Gupta Vs. Rahul Gupta and others) under Sections 420, 406, 120-B I.P.C., Police Station- Railway Road, District- Meerut and also to set aside order dated 16.01.2024 passed by Additional Sessions Judge/Special Judge, (Anti Corruption Act), Meerut in Criminal Revision No. 504 of 2023.

3. In the present case, applicant No.2 is husband of the complainant whereas applicant No.1 is sister of applicant No.2.

4. Earlier, the complainant has lodged an FIR dated 22.06.2019 against the applicants, their father and mother for offence under Section 498-A, 323, 504, 506 and 406 I.P.C. and Section 3/4 Dowry Prohibition Act, wherein after investigation, a charge-sheet was filed on 12.07.2019 against all named accused persons except, the applicant No.1 herein.

5. The complainant thereafter filed an application under Section 156(3) Cr.P.C. against present applicants and their father and mother on 15.11.2019 that they have committed an offence under Section 420, 467, 468, 471, 504, 506 and 120-B I.P.C.

6. It was alleged that they hatched a conspiracy, wherein the applicant No.1 committed cheating and thereby withdrew money from the bank account of the complainant from the bank, where applicant No.1 was working as a Manager in a different branch at Bijnor. In all, Rs. 1,18,000/- was withdrawn out of which Rs. 70,000/- was transferred to the bank account of the applicant No.1 at Saboon Godown, Branch at Meerut. It was also alleged that applicant No.2 (husband of complainant) has linked his bank account with his email and phone number so that she may not get alert messages. She came to know about cheating when she checked account details on 17.02.2019.

7. The said application was considered as a complaint and statement of the complainant and witnesses were recorded under Section 200 and 202 Cr.P.C. For reference, statement of complainant recorded under Section 200 Cr.P.C. on 13.09.2021 is reproduced hereinafter:-

**“बयान अन्तर्गत धारा 200 सी०आर०पी०सी दिनांक 13. 09. 2021**

मेरा नाम स्वेता गुप्ता आयु 35 वर्ष पुत्री श्री उमेश कुमार गोयल निवासी विजय मण्डह मुरादनगर सशपथ बयान करती हूँ कि - -

मेरी शादी दिसम्बर 2015 में राहुल गुप्ता के साथ हुई थी मेरी ससुराल चन्द्रलोक साबुन गोदाम मेरठ में है मेरा मेरी ससुराल वालो के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा है जिस वजह से मैं दिनांक 6. 01. 2019 से अपने पीहर मुरादनगर में रह रही हूँ मेरा एक खाता एस०बी०आई० साबुन गोदाम शाखा जिला मेरठ में है जिसमें मेरे काफी पैसे जमा है खाता सं० 35012436998 है इस खाते में फोन नं० और ई-मेल आईडी दोनो ही मेरे पति की दर्ज है इसलिए मुझे इस खाते में लेन देन की जानकारी नहीं हो पाती 17. 02. 2019 को जब मैंने उक्त खाता संख्या की बैंक स्टेटमेंट निकलवायी तब मुझे पता चला कि मेरी नन्द प्रियंका गुप्ता जो एस०बी०आई० बिजनौर शाखा में मैनेजर के पद पर कार्यरत है इन्होंने अपने भई राहुल गुप्ता अपनी माता कुसुम गुप्ता और अपने पिता राजकुमार गुप्ता और बैंक के अन्य लोगो के साथ सांठ गांठ करके पहले मेरे फर्जी कागजात तैयार कराये उसके बाद फर्जी विद्वाल फार्म भरे और उसके बाद फर्जी साइन करके 17. 05. 2016 को 20000 रुपये 03. 06. 2016 को 50000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर लिये इसके अलावा

12. 11. 2016 को ही 24000 रुपये और 02. 12. 2016 को 24000 रुपये भी नकद निकाल लिये इस सारे दिनों में मैं कम्पनी सतीन क्रेडिट केयर नेटवर्क लि० दिल्ली में कार्य कर रही थी जिसका कागज़ फाइल पर संलग्न है जब मैंने घर में जाकर इसकी शिकायत की तो वहां उन्होंने बहुत बत्तमीजी की गाली गलौज की ओर जान से मारने की धमकी दी मैंने इसकी शिकायत बैंक में थाना रेलवे रोड जिला मेरठ में एवं 04. 11. 2019 एस०एस०पी० मेरठ में शिकायत कराई पर कोई कार्यवाही नहीं हुई इस तरह मेरे खाते से कुल 1 लाख 18 हजार रुपये धोखाधड़ी से निकाले गये।”

(emphasis supplied)

8. The Learned Magistrate has summoned a police report under Section 202(1) Cr.P.C. and after considering statements as well as a hand writing expert's report also, summoned the applicants under Section 420, 406 and 120-B I.P.C. by the impugned summoning order dated 01.07.2023. For reference, same is reproduced hereinafter in its entirety:-

**“01. 07. 2023**

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु नियत है। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर पूर्व में सुना जा चुका है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादनी का वैवाहिक विवाद प्रार्थनी के ससुराल वालों से चल रहा है तथा प्रार्थनी दिनांक 06. 01. 2019 से अपने पीहर मुरादनगर में रह रही है। प्रार्थनी का एक खाता भारतीय स्टेट बैंक शाखा साबुन गोदाम, जिला मेरठ में था जिसका एकाउण्ट नं०- 35012436998 है उक्त खाते में प्रार्थनी के रुपये जमा थे। प्रार्थनी ने अपने खाते की स्टेटमेन्ट निकलवाई तो प्रार्थनी को ज्ञात हुआ कि प्रार्थनी की नन्द प्रियंका गुप्ता जो भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिजनौर में नौकरी करती है ने अपने भाई राहुल गुप्ता, माता कुसुम गुप्ता पिता राजकुमार निवासीगण 334/ 2 डी चन्द्रलोक साबुन गोदाम मेरठ ने बैंक के अन्य कर्मचारीयो के साथ षडयन्त्र रचकर फर्जी कागजात तैयार कर प्रार्थनी के एकाउण्ट से फर्जी बिदद्वावल फार्म भर करके फर्जी हस्ताक्षर कर दिनांक 17. 05. 2016 को खाता सं० - 0034240905479 में अंकन 20,000/ रुपये, दिनांक 03. 06. 2016 को 50,000/ पचास हजार रुपये ट्रांसफर कर लिये तथा दिनांक 18. 11. 2016 को 24,000/ - रुपये व दिनांक 02. 12. 2016 को 24,000/ - रू० प्रार्थनी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर विदद्वावल फार्म से नकद निकाल लिये गये। जबकि उक्त सभी दिनांक को प्रार्थनी SATIN CREDITCARE NETWORK LTD. DELHI में कार्य कर रही थी कम्पनी द्वारा जारी प्रमाण पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जब प्रार्थनी ने राहुल गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, कुसुम गुप्ता व राजकुमार से उक्त फर्जीवाड़े का विरोध किया तो उक्त लोगों ने प्रार्थनी को जान से

मारने की धमकी दी तथा प्रार्थनी से कहा कि यदि तुने पुलिस में हमारे खिलाफ शिकायत की तो तुझे व तेरे मां बाप को मरवा देंगे। उक्त लोगों द्वारा प्रार्थनी के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी कागजात तैयार करके प्रार्थनी के खाते से 1,18,000/ रू० धोखाधड़ी व बदनियती से निकाल लिये है। प्रार्थनी ने उक्त घटना की सूचना थाना रेलवे रोड जिला मेरठ को दिनांक 30. 10. 2019 को दी किन्तु प्रार्थनी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। प्रार्थनी ने उक्त सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 4. 11. 2019 को एस. एस. पी. महोदय मेरठ को दिया गया किन्तु आज तक भी पुलिस ने प्रार्थनी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

परिवाद के समर्थन में परिवादनी ने धारा 200 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत स्वयं का बयान लेखबद्ध कराया है तथा धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत साक्षी पी०डब्ल्यू०- 01 श्री किशन गुप्ता व पी० डब्ल्यू०- 2 के रूप में उमेश कुमार गर्ग के बयान लेखबद्ध कराए गए है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, डाक रसीद, कम्पनी द्वारा जारी हाजिरी प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट की चार अदद कॉपी को दाखिल किया गया है। न्यायालय द्वारा मामले में 202 ( 1) दं०प्र०सं० के अंतर्गत अन्वेषण कराया गया। जिसके सम्बन्ध में पुलिस रिपोर्ट दिनांकित 25. 06. 2022 व पुलिस रिपोर्ट दिनांकित 29. 09. 2022 पत्रावली पर मौजूद हैं। वाद की कार्यवाही के दौरान परिवादी द्वारा हस्तलेख विशेषज्ञ 02. 12. 2020 की रिपोर्ट भी पत्रावली पर दाखिल की गयी है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादनी ने अपने परिवाद पत्र में कथन किया है कि वह 06. 01. 2019 से अपने पीहर मुरादनगर में रह रही है। उसका एक खाता स्टेट बैंक शाखा साबुन गोदाम, जिला मेरठ में था। जिसका खाता सं०- 35012436998 है। प्रार्थनी ने जब अपने खाते स्टेटमेण्ट निकलवाई तो उसे ज्ञात हुआ कि उसकी गन्द प्रियंका गुप्ता जो भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिजनौर में काम करती है, ने अपने भाई राहुल गुप्ता, माता कुसुम गुप्ता व पिता राजकुमार ने बैंक के अन्य कर्मचारियों के साथ षडयन्त्र रचकर प्रार्थनी के फर्जी हस्ताक्षर पर दिनांक 17. 05. 2016 को सं० - 0034240905479 में अंकन 20,000/ रूपये, दिनांक 03. 06. 2016 को 50,000/ पचास हजार रूपये ट्रांसफर कर लिये तथा दिनांक 18. 11. 2016 को 24,000/ - रूपये व दिनांक 02. 12. 2018 को 24,000/ - रूपये प्रार्थनी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर विद्वाल फार्म से नकद निकाल लिये जबकि उक्त सभी दिनांक को प्रार्थनी SATIN CREDITCARE NETWORK LTD. DELHI में कार्य कर रही थी। जब प्रार्थनी ने उक्त फर्जीवाड़े का विरोध विपक्षीय से किया तो उन्होंने प्रार्थनी को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि यदि तूने पुलिस से हमारे खिलाफ शिकायत की तो तुझे व तेरे मां बाप को मरवा देंगे। उक्त तथ्य का

समर्थन प्रार्थनी द्वारा अपने बयान 200 दंप्रंसं के अन्तर्गत व साक्षी पी०डब्ल्यू०-01 व पी०डब्ल्यू०-02 द्वारा बयान 202 दंप्रंसं के अंतर्गत भी किया गया है। चूंकि विपक्षीगण 1 व 3 द्वारा प्रार्थनी के खाते से 1,18,000/- रुपये फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी व बदनियती से निकाल लिए गए हैं। पत्रावली पर मौजूद बैंक स्टेटमेंट से भी यह दर्शित होता है कि पैसे प्रियंका गुप्ता के खाते में गए हैं। पत्रावली पर परिवादी द्वारा दाखिल हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट दिनांकित 02-12-2022 के द्वारा भी परिवादिनी के हस्ताक्षरों को दूसरे व्यक्तियों के द्वारा करना बताया गया है। परिवादिनी के द्वारा किए गए कथनों का समर्थन अन्वेषण आख्या अंतर्गत धाराए 202 से भी होता है। जिसके अनुसार प्रियंका गुप्ता द्वारा परिवादिनी हस्ताक्षर शुदा सहित विद्वाल फॉर्म से विना खाता धारक के ऐसा निकालना बताया तथा परिवादिनी की गैर मौजूदगी में पैसा ट्रांसफर किया गया तथा यह कथन भी किया गया है कि बैंकों के नियमानुसार बिना खाता धारक की मौजूदगी में विद्वाल फॉर्म से खाता धारक के हस्ताक्षर के उपरान्त भी उसके खाते से पैसा निकालना कानूनन जुर्म बनता है। चूंकि विपक्षी प्रियंका गुप्ता के द्वारा परिवादिनी के पूर्व रचित हस्ताक्षर पर उसके खाते से पैसा निकाला गया है तथा जिसकी सूचना परिवादिनी के पति को थी क्योंकि उसका ई-मेल व फोन नम्बर पर ही बैंक से सूचना आती थी। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी प्रियंका गुप्ता व राहुल गुप्ता को प्रथम दृष्टया अंतर्गत धार 420, 406, 120 बी भा०दं० सं०में तलब करने हेतु आधार पर्याप्त है। विपक्षी कुसुम गुप्ता व राजकुमार गुप्ता को तलब करने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है।”

(emphasis supplied)

9. The aforesaid order was challenged at instance of the applicant by way of filing a Revision Petition, however, it got dismissed by another impugned order dated 16.01.2024. For reference, relevant part thereof is also reproduced hereinafter:-

“9 पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्तागण की ओर से यह निगरानी विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 204 दंप्रंसं में पारित किये गये तलबी आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि परिवाद के आधार पर संस्थित मामले में न्यायालय के द्वारा अपराध का संज्ञान लिये जाने के बाद परिवादी की साक्ष्य धारा 200 दंप्रंसं में अंकित करते हुए तथ्यों की जांच करने तथा धारा 202 दंप्रंसं में भी परिवादी के साक्षियों की जांच करने या पुलिस के द्वारा विवेचना कराये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत मामले में विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा परिवादी का धारा 200 दंप्रंसं का बयान अंकित किया गया है तथा साक्षियों से धारा 202 दंप्रंसं में जांच भी गयी है। पुलिस से भी धारा 202 (1) दंप्रंसं में विवेचना की गयी है। परिवादी के द्वारा विवादित विद्वाल फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर की

जांच हस्तलेख विशेषज्ञ से कराकर रिपोर्ट परिवाद में दाखिल की गयी है। पुलिस के द्वारा की गयी विवेचना में बैंक के प्रबंधक के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि विद्वाल फार्म से रुपये निकालने पर केवल खाताधारक को ही रुपये दिये जायेंगे। इस प्रकार विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा परिवाद के तथ्यों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने पर कार्यवाही किये जाने योग्य मामला पाते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। धारा 204 द०प्र०स० में भी यही प्रावधान किया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट तलबी आदेश के समय यदि कार्यवाही योग्य मामला पाता है तो समुचित आदेश पारित कर सकते हैं। इसलिए प्रश्नगत आदेश में प्रथम दृष्टया कोई विधिक त्रुटि होना परिलक्षित नहीं होती है।

10. निगरानीकर्तागण के द्वारा निगरानी में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि परिवादी के द्वारा स्वयं धनराशि आहरित की गयी है, बैंक के द्वारा की गयी जांच में परिवादी के हस्ताक्षर विद्वाल फार्म पर होना पाये गये है, पुलिस की जांच में कोई, धोखा धड़ी होना नहीं पायी गयी है, जिस दिन दिनांक की घटना है उस दिनांक को निगरानीकर्ता स 01 विदेश में था तथा परिवादी व निगरानकर्ता स 01 के मध्य विवाद पहले से चल रहा है। निगरानीकर्तागण के द्वारा इस संबंध में प्रपत्र भी पत्रावली पर दाखिल किये गये है। निगरानीकर्तागण के द्वारा लिये गये आधारों तथा दाखिल किये, गये प्रपत्रों के तथ्य प्रतिरक्षा की साक्ष्य की विषय वस्तु है जिनके संबंध में प्रतिरक्षा की स्तर पर ही विचार किया जा सकता है। तलबी आदेश या निगरानी में उनके संबंध में "विचारण" की तरह विचार नहीं किया जा सकता है। मा० उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय सोनू गुप्ता बनाम दीपक गुप्ता (2015) 3 एस. सी. सी. 424 में भी इसी प्रकार का मत व्यक्त किया गया है कि प्रतिरक्षा की साक्ष्य तथा प्रतिरक्षा के तर्कों के संबंध में सम्मनिंग आदेश के स्तर पर विचार नहीं किया जायेगा। गम्भरी सिंह आर. झाकरे बनाम फाल्गुनभाई चिमनभाई पटेल ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1590 में यह मत व्यक्त किया गया है कि संज्ञान के स्तर पर परिवाद के तथ्यों के सत्यता का परीक्षण नहीं किया जायेगा। इस प्रकार परिवादी की ओर से अपराध का संज्ञान लिये जाने के संबंध में प्रस्तुत की गयी पर्याप्त सामग्री के आधार पर ही विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करके अपने निहित क्षेत्राधिकारिता का सही प्रयोग किया गया है। इसलिए प्रश्नगत आदेश में कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता नहीं है। इस कारण उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

11. अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रश्नगत दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने तथा प्रश्नगत आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।”

(emphasis supplied)

**10.** The court has initially tried to mediate since complainant and applicant No.2 are wife and husband, but parties failed to arrive at any mutual agreement.

**11.** Mr. Siddharth, learned counsel for the applicants submitted that bank has conducted an internal inquiry on basis of a complaint filed by the complainant and by a reasoned report, all allegations were found false and no such offence was found to be committed by the applicant No.1 or applicant No.2. Learned counsel has referred contents of it as well as a Handwriting Expert's Report that signature on withdrawal form was of the complainant. It was also argued that on same set of facts, offence under Section 420 and 406 I.P.C. could not be simultaneously make out.

**12.** The above submissions are vehemently opposed by Mr. Vijit Saxena, learned counsel for opposite party No.2. He has submitted that learned Magistrate has conducted an inquiry himself on basis of the statements recorded under Section 200 and 202 Cr.P.C. as well as he also took note of the police report dated 29.09.2022 summoned under Section 202(1) Cr.P.C. as well as a report of the Hand Writing Expert, dated 02.12.2022 that signature on withdrawal forms were not of the complainant i.e. account holder. The learned Magistrate also took note of statement of Manager of the Bank as mentioned in the police report under Section 202(1) Cr.P.C. that on basis of a withdrawal form, money could be given to account holder only. Though, he fairly submitted that in given set of circumstances, offence under Section 420 and 406 I.P.C. may not go simultaneously, however, in this regard he has submitted that allegation for cheating and conspiracy are prima facie made out against the applicants. Offence under Section 406 I.P.C. could be made out against employees of Bank, but they were not summoned.

**13.** This Court is of considered opinion that on same set of facts, offence under Section 420 and 406 I.P.C. may not be simultaneously make out and in this regard relevant paragraphs of a recent judgment delivered by

Supreme Court on 23.08.2024 in the case of ***Delhi Race Club (1940) Ltd. & Ors. Vs. State of Uttar Pradesh & Anr.*** in ***CRIMINAL APPEAL NO. 3114 OF 2024*** being relevant are reproduced hereinafter:-

*“41. Before we close this matter, we would like to say something as regards the casual approach of the courts below in cases like the one at hand. The Indian Penal Code (IPC) was the official Criminal Code in the Republic of India inherited from the British India after independence. The IPC came into force in the sub-continent during the British rule in 1862. The IPC remained in force for almost a period of 162 years until it was repealed and replaced by the Bharatiya Nyaya Sanhita (“BNS”) in December 2023 which came into effect on 1 st July 2024. **It is indeed very sad to note that even after these many years, the courts have not been able to understand the fine distinction between criminal breach of trust and cheating.***

***42. When dealing with a private complaint, the law enjoins upon the magistrate a duty to meticulously examine the contents of the complaint so as to determine whether the offence of cheating or criminal breach of trust as the case may be is made out from the averments made in the complaint. The magistrate must carefully apply its mind to ascertain whether the allegations, as stated, genuinely constitute these specific offences.** In contrast, when a case arises from a FIR, this responsibility is of the police – to thoroughly ascertain whether the allegations levelled by the informant indeed falls under the category of cheating or criminal breach of trust. Unfortunately, it has become a common practice for the police officers to routinely and mechanically proceed to register an FIR for both the offences i.e. criminal breach of trust and cheating on a mere allegation of some dishonesty or fraud, without any proper application of mind.”*

*(emphasis supplied)*

**14.** The Court, in the aforesaid circumstances could remit the case to the learned Trial Court to decide afresh, however, considering statement of opposite party No.2 under Section 200 Cr.P.C., the Court proceeds to consider whether in given set of circumstances, on basis of material available, there are sufficient material to proceed against the applicants for offence under Section 420 or 406 read with 120-B I.P.C.

**15.** In above circumstances, it is not much under dispute that allegation under Section 406 I.P.C. (criminal breach of trust) could not be made out, since ingredients thereof are absent. There was neither any 'entrustment' nor allegation of 'dishonest misappropriation' in violation of any 'direction



of law' or 'any legal contract'. (see **Deepak Gaba vs State Of Uttar Pradesh and Anr. reported in 2023 (3) SCC 423**)

16. It is well settled that outcome of an internal inquiry would not bar criminal proceedings on same allegations since nature of proof is different in both the proceedings. In departmental proceedings, it would be preponderance of probability whereas in criminal cases it would be to prove beyond reasonable doubt. The Hand Writing Expert's report relied during said inquiry could not be considered at this stage as the same would be a proposed defence (see **Samar Bahadur Singh Vs. State of U.P. and Ors. : (2011) 9 SCC 94**). Otherwise also, under Section 200 Cr.P.C., the Magistrate has to conduct an inquiry himself on basis of statements made on oath as well as considering other materials. In the present case, the complainant has come up with a case that applicants have hatched a conspiracy and to execute it, applicant No.1 has committed cheating and by forging signature of the complainant on a withdrawal form to withdraw money from bank account of the complainant to transfer the same to her account. In this regard, statement of the Bank Manager recorded during police inquiry under Section 202(1) Cr.P.C. would be relevant and for reference, same is reproduced hereinafter:-

“बयान शाखा प्रबन्धक शाखा किरतपुर रोड बिजनौर जनपद बिजनौर - श्री नवनीत कुमार गौड पुत्र श्री राम निवास शर्मा निवासी ख 92 नवीन नगर एम० डी० ए० कालोनी थाना सिविल लाईन जनपद मुरादाबाद बता रहे है कि मैं 31 मई 2021 से शाखा प्रबन्धक के पद पर इस शाखा भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा किरतपुर रोड जिला बिजनौर में तैनात हूँ प्रियंका गुप्ता वाले मामले मे दिनांक 18. 11. 2016 व 2. 12. 2016 को विथड्रावल फार्म जिस पर खाता संख्या 35012436998 की खाता धारक श्वेता गुप्ता के हस्ताक्षर है दोनो बाउचर से 24000/- 24000/- रू० निकाले गये है तथा आहरित की गयी धनराशि हमारी शाखा में तैनात उप प्रबन्धक प्रियंका गुप्ता को दी गयी थीं जिसके बाउचर पर हस्ताक्षर बने है ये सब बाते मैने आपको बैंक के रिकार्ड व उस समय के बैंक कर्मचारियो से मालूम करवाई है बस यही मेरा बयान है तथा मै आपको इस मामले से संबंधित प्रपत्र उपलब्ध कराता हूँ।

प्रश्न- क्या बैंक द्वारा विथड्रावल फार्म पर हस्ताक्षर देखकर किसी अन्य व्यक्ति को उसकी धनराशि आहरित की जा सकती है ।

उत्तर- नही बैंक के नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता है परन्तु श्रीमती श्वेता गुप्ता जी चूकि प्रियंका गुप्ता जी की निकट संबंधित है व बाउचर्स पर उनके द्वारा नोन टू मी करके हस्ताक्षर किये गये है तथा प्रियंका गुप्ता बैंक की अधिकारी है इसलिए काउण्टर द्वारा उनको यह धनराशि दी गयी यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि दी गयी धनराशि नोटबन्दी के समय दी गयी थी । जब समान्तः शाखा के अत्याधिक भीड़ धनराशि करने वाले की रहती थी ।”

17. The above statement is sufficient that applicant No.1 has withdrawn money from bank account of the complainant by misusing her position of Deputy Manager of the Bank. It would also be relevant to refer here the Handwriting Expert report submitted by the complainant before the Magistrate wherein it was opined that signature of the complainant on the withdrawal form were forged.

18. In the aforesaid circumstances there are sufficient evidence and grounds that an offence under Section 420 I.P.C. is prima facie made out against the applicant. So far as, allegation of conspiracy is concerned, it is on record that bank account of the complainant was linked with phone and email of the applicant No.2 i.e. husband of the complainant, therefore, alert messages were received by applicant No.2, however, with a dishonest intention and under a conspiracy, same were not communicated to his wife, therefore, at this stage, prima facie offence under Section 420 read with 120-B I.P.C. is also made out.

19. In the aforesaid circumstances, the Court is of a considered opinion that the learned Magistrate has not committed any manifest error in summoning the applicants under Section 420 and 120-B I.P.C. The learned Magistrate has assigned requisite reasons that there are sufficient grounds to proceed under Sections 204 Cr.P.C. (**See Lallan Kumar Singh and Ors. Vs. State of Maharashtra reported in (2022) SCC Online SC 1383**).

**20.** As observed above, since there is no allegation in regard to Section 406 I.P.C. against the applicants, therefore, summoning order dated 01.07.2023 is interfered to extent of summoning the applicants under Section 406 I.P.C., however, so far as summoning order to summon under Sections 420 and 120B I.P.C. is concerned, it remained uninterfered and the impugned order is modified to that extent only.

**21.** In view of the above, instant application is **disposed of**.

**22.** Registrar (Compliance) to take steps.

**Order Date :-** 11.09.2024

Karan